

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

**राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए) भाग-1**

क्र.सं.	विवरण	क्रियान्वयन
1.	परियोजना विवरण :- क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण। ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। ग) परियोजना की लागत। घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित ($6.00 \times 5.00 = 30.00$ वर्ग मीटर) अर्थात् 0.0030हेतु (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) की भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। संलग्न है।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:-	124.00 लाख अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। क) परिवारों की संख्या ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	नहीं रून्य रून्य रून्य
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हाँ / नहीं)	नहीं
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम ()

(जिल्हे छिक्की
अधिकारी अभियन्ता

चांग्रीक शाखा

(प्राप्ति की तारीख के साथ दोहरा 30 दिनों में भरा भरा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है 0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 49 से 50 पर चर्चा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	उक्तानुसार।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेन्सी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित निर्माण कार्य के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु ₹0 78,000.00 (₹0 अठहतर हजार मात्र) का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 49 से 50 पर चर्चा है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रस्तावित योजना के निर्माण में प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु ₹0 78,000.00 (₹0 अठहतर हजार मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित निर्माण कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है 0 से कम है। अतः प्रस्तावित निर्माण कार्य के बदले परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रपत्र-4 के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 11 पर चर्चा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 03-02-2017 को किया गया है, जो प्रस्ताव के प्रपत्र-5 संलग्नक पृष्ठ सं0 – 12 पर चर्चा है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	जिला- देहरादून
12.	विभाग / जिला प्रोफाइल	3088 वर्ग कि0मी0
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2116.92 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 109 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 256.0708 है 0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 184.8423 है 0 है।
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	(क) 395.8194 हैक्टेयर / 622.9106 है 0 (ख) रिक्त
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 1- 274.980 है 0 / 478.88 है 0 जिला / प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम:- (डा० सैकित बडोला)

सरकारी मुहरविकारी

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

दिनांक: 14-02-2017।

स्थान:- मसूरी,

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित ($6.00 \times 5.00 = 30.00$ वर्ग मीटर) अर्थात् 0.0030हेटो (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) की भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	ज़िला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.0300 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.0030 हैक्टर, ग्राम समाजों में निहित जंगल वन विभाग।
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं।	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर कोई वृक्ष वाधित / प्रभावित होना निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बावत वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक(से0नि0) लो0नि0वि0 देहरादून की दो पृष्ठीय भू-गर्भीय आख्या प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 34 से 40 पर चर्चा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित / चयनित स्थल जनपद- देहरादून के ग्राम अजबपुर कंला (देवांचल विहार में ग्राम समाजों में निहित जंगल वन विभाग) की सीमा अन्तर्गत है। खतौनी की प्रति प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 14ए पर चर्चा है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 16 पर चर्चा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। (यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /लो0नि0वि0 एंव राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 46 पर चर्चा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एंव वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 45 पर चर्चा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

- 15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

- 16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

तिथि.....
स्थान.....

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुरक्षित समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

स्थान :

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17— राज्य सरकार की सिफारिशः

(उपर्युक्त भाग— || या भाग— ||| या

भाग—IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

स्थान :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर